न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध अपील वाद सं0–116/2019–20

मो0 अजहर वगै0 बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
02/02/23	आवेदक मो0 अजहर हुसैन, पिता–इजहार हुसैन, साकिन–बसबुटा, थाना–प्रतापपुर, जिला–चतरा के द्वारा अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के विविध वाद संख्या–04/18–19 में दिनांक–19.12.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षकार को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। संबंधित पक्षकार के द्वारा लिखित कथन समर्पित है। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में उल्लेखित किया है कि–''यह है कि** यह अपील वाद अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा विविध वाद संख्या–04/2018–19 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। यह है कि अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा दिनांक–20.11.2018 को आदेश पारित किया गया है जबकि उनके आदेश का अनुपालन हेतु दिनांक–19.12.2018 निर्धारित था। यह है कि अपीलार्थी के बिना जानकारी के ही दिनांक–19.12.2018 को आदेश पारित किया गया है। यह है कि मौजा–बसबुटा, खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–12, रकवा–28.89 एकड़ एवं खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–13, रकवा–01 एकड़ भूमि करीम बखरा, पिता–तरूब मियॉ के द्वारा स्वयं हासिल किया हुआ भूमि है। यह है कि करीम बखरा का नाम पंजी–2 में दर्ज हुआ था एवं सरकारी रसीद निर्गत है। यह है कि खाता संख्या–01 की भूमि करीम बखरा के द्वारा हुकुमनामा के माध्यम से प्राप्त किया गया था। हुकुमनामा कुन्दा राजा के द्वारा दिया गया था। यह है कि करीम बखरा के द्वारा इजहार हुसैन, पिता–करीम बक्स की सेवा के खुश होकर दिनांक–25.08.1956 को एक वशियत निर्गत किया गया। करीम बखरा की मृत्यु के बाद इजार हुसैन के नाम से भूमि का म्यूटेशन हुआ। यह है कि काफी दशक बीत जाने के बाद विपक्षी के द्वारा अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा बिना राजस्व कागजातों के अवलोकन किये ही आदेश पारित कर दिये जो खारिज करने के योग्य है। यह है कि अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा यह ध्यान नहीं दिया गया कि प्रश्नगत भूमि करीम बक्स का स्वयं अर्जित सम्पति था, इसलिए मुस्लिम लॉ के अनुसार अन्य लोगों की हिस्सेदारी का बात ही नहीं बनता है। अंचल अधिकारी द्वारा करीम बक्स के द्वारा निर्गत वशियत का भी अवलोकन नहीं	

किया गया। इसलिए अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश खारिज करने के योग्य है।'' प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी का आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आवेदक ने अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा पारित आदेश का सत्यापित प्रति दाखिल किया है। **अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा अपने आदेश पत्रक में उल्लेखित किया गया है कि**–''राजस्व कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम–बसबुटा, थाना संख्या–69 के अंतर्गत खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–12, रकवा–28.89 ए0 भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास किस्म जंगल दर्ज है एवं खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–13, रकवा–1.00 ए0 भूमि सर्वे खतियान में नदी दर्ज है। पंजी–2 में पहले करीम बक्स पिता तुराव मियां के नाम से दर्ज कायम था। करीम बक्स पिता तुराव मियां के तीन पुत्र है बंशावली के आधार पर तीनों पुत्रों को बहिस्सा बराबर बनता है। सिलिग आदेश की प्रति में 1. रमजान अली, 2. इप्तेखार अहमद, 3. इजहार हुसैन है। उपरोक्त भूमि को इजहार हुसैन ने अपने नाम जमाबंदी कायम करवा लिया है जिसका दा0 खा0 वाद सख्या–344/82–83 है इजहार हुसैन पिता करीम बक्स के नाम से सरकारी रसीद निर्गत है। प्रथम पक्ष आबिद हुसैन पिता इस्तेखार हुसैन एवं शोकत हुसैन पिता सितारे हुसैन एवं द्वितीय पक्ष अजहर हुसैन एवं अब्दुल गफार हुसैन ग्राम–केवलीया द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया अवलोकन से स्पष्ट प्रति होता है कि द्वितीय पक्ष अजहर हुसैन एवं अब्दुल गफार पिता इजहार हुसैन ग्राम–केवलीया द्वारा तत्कालीन राजस्व कर्मचारी के मिली भगत से सादा वसियत नामा जो 1956 ई0 के आधार पर दा0 खा0 केश सख्या–344/82–83 द्वारा करीम बक्स के एक ही पुत्र इजहार हुसैन के नाम से नामान्तरण करना संदेहात्मक प्रतीत होता है जबकि करीम बक्स मियां के तीन पुत्र है। 1. रमजान अली, 2. इफतार अहमद, 3. इजहार हुसैन, है भू–हदबंदी 1961 के अनुसार सिंलिग ऑडर शीट 23.02.1977 के आधार पर करीम बक्स के तीनों पुत्रों का ग्राम बसबुटा के थाना संख्या–69 के खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–12, 13 कुल रकवा–29.89 ए0 भूमि को बाहिस्सा बराबर दिखाया गया है सिलिंग ऑडर के आधार पर प्रत्येक पुत्र को 9.96 ए0 भूमि हिस्सा होता है। तत्कालीन अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के पत्रांक–222, दिनांक–22.06.1977 एवं न्यायालय अपर अनुमण्डल हदबंदी हजारीबाग के आदेश के आलोक में करीम बक्स के तीनों पुत्रों का ग्राम–बसबुटा के थाना संख्या–69, खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–12, 13 कुल रकवा–29.89 एकड़ भूमि जो पंजी–2 के पृष्ठ सख्या–4/1 पर कायम जमाबंदी रैयत इजहार हुसैन के साथ रमजान अली, इफतार अहमद का नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। प्रभारी सहायक को निदेशित किया जाता है कि ग्राम–बसबुटा के थाना संख्या–69 के खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–12, 13 कुल रकवा–29.89 एकड़ की जमाबंदी पंजी–2 पृष्ठ संख्या–4/1 पर कायम जमाबंदी रैयत इजहार हुसैन के साथ रमजान अली

वो इफतार अहमद, पिता–करीम बक्स का नाम दर्ज करने हेतु संबंधित हल्का कर्मचारी को आदेश की प्रति निर्गत करें।''

उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के द्वारा समर्पित लिखित कथन/कागजातों, अंचल अधिकारी, प्रतापपुर से प्राप्त जाचं प्रतिवेदन तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार पर निम्न बिन्दु परिलक्षित होता है :–

⟹ **गैरमजरूआ खास किस्म जंगल एवं नदी भूमि का मामला।**

⟹ **गैरमजरूआ खास किस्म जंगल एवं नदी भूमि का मामला :– अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा अपने आदेश पत्रक में उल्लेखित किया गया है कि**–''राजस्व कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम–बसबुटा, थाना संख्या–69 के अंतर्गत खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–12, रकवा–28.89 ए0 भूमि सर्वे खतियान में **गैरमजरूआ खास किस्म जंगल दर्ज** है एवं खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–13, रकवा–1.00 ए0 भूमि सर्वे खतियान में **नदी** दर्ज है। ''

उभय पक्षों के द्वारा इस वाद में न ही उपस्थिति दर्ज (लम्बे समय से अनुपस्थित) की जा रही है और न ही रूचि ली जा रही है।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के द्वारा निर्गत विभिन्न पत्रांक–1704/रा0, दिनांक–15.07.2020, पत्रांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016, पत्रांक–2861/रा0, दिनांक–08.06.2017, पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 एवं 2884/रा0, दिनांक–10.07.2018 एवं 6205/रा0, दिनांक–27.12.2017 के माध्यम से अवैध जमाबंदी को रद्द करने तथा नियमित करने एवं अन्य से संबंधित मामले पर दिशा–निर्देश प्राप्त है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस वाद में विधिसम्मत्/न्याय संगत सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी को ही भूमि के किस्म के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई करना है। अतः अंचल अधिकारी, प्रतापपुर को आदेश दिया जाता है कि संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए, भूमि से संबंधित कागजातों जैसे (खतियान, रजिस्टर II एवं अन्य कागजातों आदि) का पुनः विस्तृत अवलोकन करते हुए तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा भिन्न–भिन्न समय पर जारी संकल्पों एवं पत्रों का अवलोकन करते हुए तथा साथ ही साथ यह भी जांच कर संतुष्ट हो लें कि जमाबंदी कब कायम हुई है तथा सरकारी रसीद कब से निर्गत हो रही है तथा वन विभाग से भी स्पष्ट हो ले कि संबंधित भूमि वन सीमा से अंदर है या बाहर तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय

द्वारा T.N. Godavarman Thirumal Vs Union of India 1995 से संबंधित वाद में पारित आदेश का अवलोकन करने के पश्चात् एवं अगर कोई सक्षम न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो तो, ध्यान में रखते हुए नियमसंगत/विधिसम्मत् अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः अंचल अधिकारी, प्रतापपुर को अग्रतर कार्रवाई हेतु आदेश की प्रति भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

02/02/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

02/02/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.03 09:18:56 -07:00
Location: 2409:40e4:1056:4265:8caa:c00f:a89d:a4b9